कार्यालय उच्च विद्यालय कर्णपुरा, दुर्गावती।

बालिका छात्रावास में सामग्रियों के क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा

कैमूर जिला अन्तर्गत बालिका छात्रावास कर्णपुरा, प्रखण्ड–दुर्गावती के लिए चौकी एवं रसोई हेतु बर्त्तन की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म/निविदादाता से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा मुहरबंद (तकनीकी एवं वित्तीय अलग–अलग लिफाफे में) लिफाफे में विहित शर्तों के अनुरूप बालिका छात्रावास कर्णपुरा, प्रखण्ड– दुर्गावती के नाम से, दैनिक समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन की तिथि से 15वें दिन शाम 03.00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। निविदा प्रकाशन तिथि के 17वें0 दिन (अवकाश रहने की स्थिति में अगले कार्यदिवस को) पूर्वाह्न 11.00 बजे, कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर के सभाकक्ष में सभी प्राप्त निविदा क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी।

तकनीकी शर्तः–

1. वाणिज्य कर/वैट निबंधन प्रमाण पत्र (TIN No.) तथा विगत तीन वर्ष का अद्यतन आयकर रिटर्न प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. पैन कार्ड (आवेदित न हो) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. इच्छुक निविदादाता को अग्रधन की राशि चौकी के लिए 10000/– रसोई एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु 5000/– का बैंक ड्राफ्ट, रा0मा0शि0अभि0, कैमूर के नाम से देय होगा।
4. फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र, जो नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत हो, संलग्न होना अनिवार्य है।
5. शॉप एण्ड इस्टैब्लिशमेंट निबंधन प्रमाण एवं संबंधित सामग्री के आपूर्ति का कार्यानुभव की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. फर्म (दुकान) के नाम से संचालित खाता के पास बुक की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

वितीय शर्तः–

1. लिफाफे के उपर बालिका छात्रावास का नाम बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से अंकित करना एवं निविदा में संलग्न किये गये सभी वांछित कागजातों पर निविदादाता का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।
2. क्रय किये जानेवाली सामग्रियों की संख्या/मात्रा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। आपूर्त्तिकर्त्ता को बालिका छात्रावास पर अपने खर्च पर सामग्रियों की आपूर्त्ति करनी होगी। कार्यालय द्वारा राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सामग्री आपूर्ति की समय सीमा कम से कम तीन माह तक होगा।
3. आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रीयों को विशिष्टियों के अनुरूप निर्गत कार्यादेश के उपरांत एकमुश्त छात्रावास को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. चयनित निविदादाता को (SECURITY MONEY) सुरक्षित जमा राशि के रूप में आपूर्ति किये जाने वाले कुल सामग्री के समतुल्य राशि का 10 प्रतिशत राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रा0मा0शि0अभि0, कैमूर के नाम से देय होगा।
5. निविदादाता को निर्धारित समय के अंदर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। समयसीमा के अंदर आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता के भुगतान विपत्र राशि से कटौती कर भुगतान की जाएगी एवं सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्रियों की गुणवता की जाँच के बाद ही भुगतान फर्म के नाम से आर0टी0जी0एस0/रेखांकित चेक के माध्यम से की जायेगी।
7. निविदा में विहित शर्तो के अनुरूप पूर्ण निविदा ही स्वीकार किये जायेंगे। त्रुटिपूर्ण अथवा शर्तों से इतर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्धारित दर वितीय वर्ष 2016–2017 के लिए मान्य होगा।

निविदा खुलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि का सामग्री के नमूना के साथ उपस्थित होना अनविार्य है। तकनीकी निविदा के चयनोपरांत ही उस निविदादाता का वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा को अंशतः या पूर्णतः या किसी भी समय निरस्त करने एवं आशिक या पूर्णतः संशोधित करने का अधिकार क्रय समिति के अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

➲ **निविदा का प्रारूप जिला के वेबसाईट www.kaimur.bih.nic.in पर डाला गया है, जिसे आवश्कतानुसार डाउनलोड किया जा सकता है।**

08.12.16

प्रधानाध्यापक

उच्च विद्यालय, कर्णपुरा, दुर्गावती

बालिका छात्रावास कर्णपुरा, दुर्गावती में आपूर्त्ति के लिये सामग्रियों की सूची

क्र0सं0	सामग्री का नाम	संख्या
1	चौकी (साढ़े तीन फीट चौड़ा एवं 06 फीट लम्बा, आम की लकड़ी का)	100
2	कड़ाही (लोहा का 40–45 किलो का)	1
3	छोलनी (लोहा का बड़ा)	1
4	तसला (भगोना एल्मूनियम का 100 लोगों के लिए)	1
5	डेकची (ढक्कन सहित)	1
6	परात (एल्मूनियम का)	1
7	गमला (एल्मूनियम का)	1
8	केतली (एल्मूनियम का)	1
9	सॉसपेन (एल्मूनियम का)	1
10	प्रेशर कुकर (25 लीटर का)	1
11	थाली (स्टील का)	100
12	कटोरी (स्टील का)	100
13	गिलास (स्टील का)	100
14	चम्मच (स्टील का)	100

08.12.16

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर